:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 2/20

1. श्री मोहनलाल पिता चुनीया लोहार
2. श्रीमती सुशीला पत्नी सुभाष लोहार उम्र वयस्क निवासीयान साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

बनाम

1. श्री डायालाल पिता अम्बालाल लोहार
2. श्री देवीलाल पिता अम्बालाल लोहार
3. श्री रमेश पिता अम्बालाल लोहार
4. श्री प्रवीण पिता रमण लोहार
5. श्री कनु पिता वेलजी लोहार निवासीयान साकोदरा तहसील चिखली
6. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र जैन वकील प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव साकोदरा के जमाबन्दी खाता संख्या 202 में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1283 एवं 1284 का रकबा क्रमशः 0.0485 एवं 0.0243 हैक्टेयर भूमि है प्रार्थी की आराजी संख्या 1284 के दक्षीण दिशा में आराजी संख्या 1285 जो विपक्षीगण द्वारा अपनी बताना, एवं आराजी संख्या 1283 के पूर्व में स्थित आराजी नम्बर 1282 जो कि बिलानाम भूमि है जिसकी सीमाओं को लेकर विपक्षीगण विवाद कर रहे है। उक्त प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर प्रार्थी काबीज होकर काश्त करता आ रहा है किन्तु अभी कुछ समय से प्रतिवादीगण सीमा विवाद कर रहे है कि वादग्रसत आराजी 1283 व 1284 के क्षेत्रफल में विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1285 तथा 1282 बीलानाम भूमि अपनी होने की बात कर सीमा विवाद कर रहे है जबकि विपक्षीगण का प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार साहब को आवेदन कर दिनांक 06.12.2019 को सीमाज्ञान करवाया गया, किन्तु विपक्षीगण किसी बात को मानने को तैयार नहीं तथा विवाद करते है ऐसे में प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1283 व 1284 की रकबा क्रमशः 0.0485 एवं 0.0243 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कर मौके पर पत्थर रोप कर स्थाई चिन्हीकरण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव साकोदरा के खसरा संख्या 1283 व 1284 का रकबा क्रमशः 0.0485 एवं 0.0243 है0 भूमि जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ऐसे में प्रथम दृष्टयामामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है, प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी का 1283 एवं 1284 की पत्थरगढी कर स्थाई चिन्ह नहीं लगाए जाने से सीमाविवाद रहेगा जिससे प्रार्थी को अपुरणीय क्षती होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 6 बावजुद तामील उपस्थित नहीं आये जिस पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई । अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3,5 की ओर से एडवोकेट रमेशचन्द्र डामोर ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील अप्रार्थीगण बावजुद इत्तिला हाजिर नही होने से एवं जवाब पेश नहीं करने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुवे बताया कि ग्राव साकोदरा तहसील चिखली डूंगरपुर स्थित खाता संख्या 202 में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1283 एवं 1284 का रकबा कमशः 0. 0485 एवं 0.0243 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदार अधिकारों की स्थित है उक्त भूमि की नियमानुसार पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.12.2019 को पैमाईश की जाकर फर्द सीमांकन मौका तैयार किया गया अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थी की भूमि की सीमा पर विवाद उत्पन्न कर रहे है इसलिये प्रार्थी की उक्त भूमि की नियमानुसार पत्थरगढी करने के आदेश फरमावे, अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राव साकोदरा तहसील चिखली स्थित खाता संख्या 202 में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1283 एवं 1284 की प्रमाणित जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी खातेदार दर्ज पाया गया पत्रावली पर उक्त भूमि की दिनांक 06.12.2019 को पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश की जाकर मौका फर्द सीमांकन भी उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थी की उक्त भूमि का पत्थरगढी किये जाने में व्यवधान पैदा करते है, इसलिये एक खातेदार को अपनी काश्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार है। उपरोक्तानुसार विचारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1283 एवं 1284 रकबा कमशः 0.0485 एवं 0.0243 हैक्टेयर ग्राम साकोदरा तहसील चिखली की फर्द पैमाईश दिनांक 06.12.2019 एवं नवीन पैमाईश के अनुसार पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य हेतु नियमानुसार शुल्क प्रार्थी तहसील चिखली में जमा करावे शुल्क जमा होने पर तहसीलदार चिखली पत्थरगढी कार्य सम्पन्न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली